



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 2 राँची, शुक्रवार,

1 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 दिसम्बर, 2020

संख्या--5/आरोप-1-43/2014 का.-6382--श्री अनुप किशोर शरण, (कोटि क्रमांक- 545/03, गृह जिला-पटना), सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरुद्ध इनके भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गुमला के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-129/(i)गो०, दिनांक 03.04.2013 द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उपायुक्त, गुमला द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-3519, दिनांक 27.04.2013 द्वारा उनसे श्री शरण के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-771(ii)/स्था०, दिनांक 28.06.2013 द्वारा श्री शरण के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

1. (क) विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश की अवहेलना कर अनुपालन नहीं करना।
(ख) कार्यालय आदेश ज्ञापांक-307(ii) गो०, दिनांक-22.03.2013 द्वारा दिनांक 29.03.2013 से 31.03.2013 तक कोषागार एवं बैंक में उड़नदस्ता दण्डाधिकारी के रूप में की गई प्रतिनियुक्ति की अवहेलना।
2. चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अवहेलना।
3. मुख्यालय में आवासन नहीं करना।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6508, दिनांक 19.07.2013 द्वारा श्री शरण से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री शरण के पत्रांक-988, दिनांक 29.07.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री शरण के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7828, दिनांक 29.08.2013 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-35(ii)/स्था०, दिनांक 13.01.2014 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री शरण के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई।

विभागीय पत्रांक-8471, दिनांक 25.08.2014 द्वारा उपायुक्त, गुमला से पृच्छा की गई कि यदि श्री शरण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हो रहे थे, तो प्रपत्र-‘क’ का गठन की क्यों किया गया?

उक्त के आलोक में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-356(ii)/स्था०, दिनांक 15.05.2019 द्वारा निम्नांकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया-

“श्री शरण के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर तत्कालीन उपायुक्त, श्रीमती वीणा श्रीवास्तव के द्वारा अपना मंतव्य विभाग को इस कार्यालय के पत्रांक-35(ii)/स्था०, दिनांक 13.01.2014 द्वारा समर्पित किया गया था, जिसमें श्री शरण के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई है।

इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि 2014 में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा प्रेषित मंतव्य मात्र श्री शरण के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को ही सत्य मानते हुए स्पष्टीकरण स्वीकार करने की अनुशंसा सरकार को भेजी गई है। पूर्व उपायुक्त के द्वारा आरोपों की समीक्षा नहीं की गई है, अतः श्री शरण द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”

श्री शरण के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य/प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-8971, दिनांक 08.11.2019 द्वारा श्री शरण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री मिंज के पत्रांक-214, दिनांक 02.06.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री शरण के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री शरण के विरुद्ध आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अनुप किशोर शरण, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
